न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंझौल बेगूसराय
परिवाद संख्या – 102सी/19

रागनी देवी **बनाम** लूरो पासवान वगैरह

दिनांक 05.03.2020 :

अभिलेख आज आदेश हेतु निश्चित है। परिवादी द्वारा समयावेदन दिया गया। इसे आज मात्र के लिए स्वीकार किया जाता है। वाद पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए ।

आदेश

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परिवादी ने प्रस्तुत वाद लूरो पासवान, सूलो देवी, बलराम कुमार पर किया है। परिवादी का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.07.19 को रात 09:00 बजे परिवादी अपने घर पर अपने परिवार के साथ सोयी हुई थी। सभी मिलकर मुझे मारकर गिरा दिये। मेरा सोना का बाली, पांच हजार रूपया और कपड़ा सूलो देवी ले ली और बोली की तुमको जेल भेजवा देंगे। आगे कहते हैं कि जांच साक्षियों ने परिवादी के मामले का समर्थन किया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि परिवाद पत्र में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध अंतर्गत धारा – 341, 323, 452, 427, 379, 504, 354 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत सम्मन निर्गत करने की कृपा की जाय।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादी का सशपथ बयान एवं दो जांच साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है। परिवादी के सशपथ बयान एवं साक्षियों के जांच साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय परिवाद पत्र में नामित अभियुक्तों लूरो पासवान, सूलो देवी, बलराम कुमार के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या भा0 दं0 सं0 की धारा –323, 504 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार पाती है।

अतः परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि निश्चित तिथि के भीतर समन के अपेक्षिताएं न्यायालय में दाखिल करे। वाद दिनांक ..... वास्ते समन की अपेक्षिताएं।

योगेश कुमार मिश्र
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
मंझौल, बेगूसराय